Business law

[L-1]

Date
Page

1

COMMERCIAL LAW

V.V.I

*Law:- कानून नियमों का एक समूह है जिसे सरकारी संस्थान द्वारा तथा सामाजिक संस्थान द्वारा व्यवहार्य में लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे वैधानिक न्याय एवं न्याय को कला भी कहा जाता है।

सन्नियम एक तंत्र है जो व्यक्ति एवं समाज शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए मानवीय आचरण एवं व्यवहारों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। सान्नियम का क्रियान्वयन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है जो उस राज्य का नागरिक है। इसका निर्धारण सामूहिक या एकल पीठ द्वारा बनाया जाता है जिसका परिणाम कानून न मानने वाले व्यक्तियों को सजा के रूप में (जज) न्याय-धीश द्वारा दिया जाता है। यह राजनितिक अर्थशास्त्र या आर्थिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिवेश एवं सेवा के रूप में भी हो सकता है।

सान्नियम को समान्यतः दो क्षेत्रों में विभाजित

किया जाता है :—

(i) Criminal law
(ii) Civil law

* Meaning and Definations of Commercial law :-

व्यापारिक सन्नियम समाज के लोगों की व्यवहारिक क्रियाओं से संबंधित है।
यह सन्नियम की वह शाखा है जो विभिन्न व्यापारिक "सौदों" से सम्बन्धित होती है।

विस्तृत रूप से व्यापारिक सन्नियम से आशय उन सभी वैधानिक नियमों से है जो उनके व्यापार के संचालन नियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से लागु होता है।

: According to Prof. A.K Sen, "व्यापारिक सन्नियम के अंतर्गत वे नियम सम्मिलित है जो व्यापारियों, बैंकरों एवं व्यवसायियों के साधारण व्यवहारों पर लागू होता है और जो संपत्ति के अधिकारों एवं वाणिज्य में संलग्न व्यक्तियों के संबंधो

से संबन्धित है।"

• <u>According to Justice Salmond,</u> "व्यापारिक सन्नियम से आशय राज्य द्वारा मान्य और प्रयुक्त उन सिद्धांतों के समूह से है जिसको वह न्यायिक प्रशासन के लिए उपयोग में लाता है।"

• <u>According to M.J Sethna,</u> "व्यापारिक सन्नियम उन सारे सन्नियमों का समूह है जिसमे व्यापारिक संबंधो एवं सभ्य समान में रहने वाले मानव की वाणिज्यिक क्रियाओं से संबन्धित सिद्धांतों का समावेश हो।"

• <u>According to Kolkata High Court,</u> "व्यापारिक वादों में व्यापारियों, बैंकरों व तथा व्यवसायिक आदि के समान्य निर्धारण व्यवहारों से उत्पन्न हुए वाद भी सम्मिलित है इसके अतिरिक्त व्यापारियों द्वारा प्रलेखों के माल के निर्यात - आयात, जहाजी यातायात, माल का स्थल, यातायात

बीमा, बैंकिंग व्यापारिक एजेंसी एवं व्यापारिक प्रथाओं तथा ऐसे व्यवहारों से उत्पन्न प्रश्नों से संबंधित वाद भी इस श्रेणी में आते है।"

• **According to A.K Banerjee:** "व्यापारिक सन्नियम से आशय राज्य नियम के उस भाग से है जो वाणिज्य में संलग्न व्यक्तियों के मध्य हुए व्यवहारों से उत्पन्न कर्तव्य एवं दायित्वों का वर्णन करता है।"

• **Conclusion** → उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यापारिक सन्नियम का आशय उन सभी वैधानिक नियमों से है जो उनके व्यापार के संचालन एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू होता है।"

* Scope of Business Law

व्यापारिक सन्नियम का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है जो न केवल व्यवसाय, व्यापारी एवं उद्योग पतियों पर लागू होता है बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों पर लागू होता है।

- **According to Prof. A.K Sen:**

व्यापारिक सन्नियम में निम्न को शामिल किया जाता है।

(i) Insurance Law
(ii) Contract Law
(iii) Partnership Act
(iv) Companies Act
(v) Goods & Service Act
(vi) Transportation Act
(vii) Banking Act
(viii) Insolvency Act
(ix) Bills of Exchange Act
(x) Monopoly Act
(xi) Patent, Trademark & Copyright Act

विस्तृत स्वरूप में Prof. Sen ने व्यापारिक सन्नियम को इसके इतिहास को लेकर इसके कार्यों का भी उल्लेखित किया ~~जाता~~ है।"

* History of Commercial Law

व्यापारिक सन्नियम इंग्लैंड की व्यापार व्यवस्था की ही देन है। इसे 13वी शताब्दी में कॉमन Law से अलग माना जाता था।

जो व्यापारियों के आपसी व्यवहार एवं परंपराओं द्वारा प्रशासित होती थे। 18वी शताब्दी आते-आते इसमें 'कॉमन लॉ' का रूप प्राप्त कर लिया और इसका विकास भी आरंभ हो गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यापारिक सन्नियम का विकास England में हुआ एवं यह आज भी England के व्यापारिक सन्नियम का एक प्रमुख अंग माना जाता है।

भारत में
भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में लागु होने से पूर्व इसे 'हिन्दु लॉ, मुस्लिम लॉ द्वारा नियंत्रित किया जाता था किंतु 1872 के बाद इसे व्यापारिक अधिनियम के एकरूपता वाले सिद्धांत के रूप में स्थापित किया जो England के व्यापारिक सन्नियम पर ही आधारित था।

* **B.N Roy** के शब्दो मे, "व्यापारिक सन्नियम मुख्यतः England के व्यापारिक सन्नियम का ही नकल है।"

विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार, भारतीय व्यापारिक सन्नियम निम्न

सन्नियमों के द्वारा निर्मित किया गया है।

1.* **English Mercantile Law**

England के कॉमन लॉ सामान्य रूढ़ीवादी प्रथाएँ एवं रीतिरिवाज पर आधारित है। भारत में लेखांकन अधिनियम की कमियों के कारण मजबूरीवश इसे स्रोत के रूप में शामिल करना पड़ता है।

2.* **Principles of Equity and Justice**

साम्य का अर्थ है 'fair' इसे न्याय का नाम भी दिया जा सकता है। सामान्य अधिनियम के अंतर्गत सभी कारकों शामिल नही किया जा सकता इसलिए उचित निर्णय लेने के लिए England के राजा कानूनी न्यायविदों के पास व्यापारिक संबंधी वादों को भेजता था। England की तरह भारत को भी उन्हे वादो को भेजा जाता था जो समान्यतौर पर सुलझाया न जा सके।

3.* **Law Mechant**

अंग्रेजी व्यापारिक सन्नियम व्यापारिक सन्नियम के अतिरिक्त कुछ भी नही है जो व्यापारियों के व्यवस्थाओं पर पूरी तरह से आश्रित होता है। इसके सदस्य द्वारा इसका प्रशासनीक काम को अंजाम किया जाता है जो विनिमय साध्य प्रलेख साझेदारी अधिनियम, बीमा etc. के अधि- -नियमों पर ही आधारित होती है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक सन्नियम कुछ नियमों का मिश्रण है जो किसी न किसी सामान्य नियमों में पाया जाता है।

हमारे देश में भारतीय ~~[illegible]~~ अनुबंध अधिनियम 1872 एवं विनिमय साध्य अधिनियम 1881 इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।